पत्रांक–22 / सी0–09 / 2016 सा0प्र0–13635 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–29.8.. 2024

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–11959 दिनांक–30.08.2019 सह–पठित शुद्धिपत्र ज्ञापांक–16798 दिनांक–10.12.2019 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में निम्नवत् प्रावधान किया गया हैः–

"उपर्युक्त के आलोक में अनुकंपा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय–सीमा के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र सं0–2822 दिनांक–27.04.1995 की कंडिका–06 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है –

"परन्तु यह कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनो जीवित नहीं हों, अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की अर्हता नहीं धारण की जाती हो तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अन्दर अनुकम्पा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमान्य होगा।"

2. उक्त संदर्भ में प्राप्त हो रहे कतिपय रेफरेन्स पर सम्यक् विचारोपरांत स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक परिपत्र सं0–11959 दिनांक–30.08.2019 के निर्गत होने की तिथि एवं उसके उपरांत बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रावधान प्रभावी होगा।

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि मृत सरकारी सेवक के वैसे आश्रितों को ही उक्त प्रावधान का लाभ अनुमान्य होगा जो दिनांक–30.08.2019 एवं उसके बाद 18 वर्ष की उम्र के होंगे।

3. अतः अनुरोध है कि वर्णित स्पष्टीकरण से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन

28/08/24

(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–22/सी0–09/2016 सा0प्र0–13635/ पटना–15, दिनांक– 29.8. 2024

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/08/24.

सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner